

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, प्रयागराज
परीक्षा विभाग के द्वारा काउन्सिलिंग हेतु आवश्यक निर्देश
सत्र 2021-22

- 1 तीन वर्षीय (6 सेमेस्टर) इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- 2 दो वर्षीय (4 सेमेस्टर) मैनेजमेन्ट (कामर्शियल प्रैक्टिस/मैटीरियल मैनेजमेन्ट/मार्केटिंग मैनेजमेन्ट) डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- 3 1^{1/2} वर्षीय (3 सेमेस्टर) पोस्ट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन।

A. काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं जमा करने के लिए प्रत्येक की दो सेट स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां अवश्य लायें-

- 1 आई0ई0आर0टी0 प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आप को जारी किया गया मूल प्रवेश पत्र।
- 2 न्यूनतम अर्हता ग्रहण करने वाली परीक्षा सहित समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाएँ अर्थात् इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा हेतु हाई स्कूल अथवा समकक्ष, मैनेजमेन्ट डिप्लोमा हेतु इन्टरमीडिएट या समकक्ष (हिन्दी और अंग्रेजी हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट में अनिवार्य), पी0डी0सी0ए0 हेतु स्नातक उपधि (इन्टरमीडिएट स्तर पर गणित एवं भौतिक शास्त्र विषय सहित) अथवा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
- 3 अन्तिम संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (छ: माह के अन्दर का) प्रारूप 8 पर।
- 4 उ0प्र0 के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े (Gen. E.W.S.) अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग, उ0प्र0 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/सैनिक आश्रित/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संतान का प्रमाण पत्र तथा शारीरिक विकलांगता श्रेणियों के सन्दर्भ में 31 मार्च 2021 के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त श्रेणी प्रमाण पत्र (संस्थान के प्रास्पेक्टस में मुद्रित निर्धारित प्रारूप यथास्थिति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 9 के अनुरूप)
- 5 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों लिए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का पेन्शन प्रपत्र तथा सैनिक अश्रितों के लिए सैनिक के पेन्शन कागजात यदि वह सेवा निवृत्त हो गया है।
- 6 06 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो जैसा कि प्रवेश/सत्यापन पत्र पर चिपकाया गया है जिस पर नाम एवं दिनांक लिखा हो।
- 7 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटरजनित जाति प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 31 मार्च 2021 के पश्चात का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। काउन्सिलिंग के समय जाति प्रमाण पत्र इन्टरनेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ दिखना (Show होना) अति अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र यदि इन्टरनेट पर नहीं प्रमाणित होता है, तो उसका प्रवेश सामान्य श्रेणी की मेरिट पर जहां उसका मेरिट कम होगा तदनुसार किया जायेगा।
- 8 अन्तिम संस्थान द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल (सत्य) प्रथम प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल रूप से जमा होगी, स्नातक उपधि के छात्र विश्वविद्यालय से Migration Certificate की मूल प्रति अवश्य जमा करें। ICSE/CBSE बोर्ड के छात्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रथम प्रतिलिपि एवं बोर्ड द्वारा देय मूल प्रथम माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करेंगे।
- 9 किसी राजकीय अस्पताल द्वारा ब्लड ग्रुप रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- 10 उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रास्पेक्टस में मुद्रित प्रारूप 5 पर अधिवास प्रमाण पत्र देना होगा।
- 11 शिक्षा में व्यवधान यदि कोई हो तो कारण स्पष्ट करते हुए हलफनामा, जो निदेशक, आई0ई0आर0टी0, प्रयागराज के नाम से देना होगा।
- 12 टी0सी0 (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) माइग्रेशन सर्टिफिकेट की छाया प्रति अवश्य अपने पास सुरक्षित रखें।

B. शुल्क:-समस्त शुल्क रू0 21,840/- (काउन्सिलिंग फीस एवं संस्था की फीस अलग-अलग) नगद जमा करना होगा। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

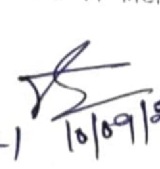
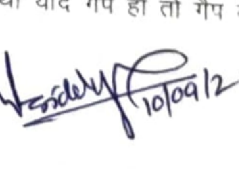
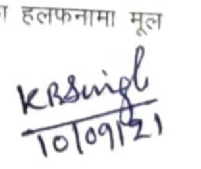
- 1 रू0 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) सभी अभ्यर्थियों द्वारा देय काउन्सिलिंग फीस नगद जमा करना अनिवार्य होगा।
- 2 प्रवेश हेतु अधिकृत अभ्यर्थियों के लिए निम्न संस्था शुल्क:-
सभी वर्ग (सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) तथा सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संस्थान की शुल्क रू0 20840/- है जिसमें रू0 14430/-, रू0 840/-, रू0 4570/- एवं रू0 1000/- (काशनमनी) सभी प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही नगद जमा करना अनिवार्य होगा।

C. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश:-

- 1 अभ्यर्थी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
- 2 अभ्यर्थी के माता-पिता (की संयुक्त रूप से) अथवा अभिभावक (यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं) की सकल वार्षिक आय रू0 2.5 लाख (रू0 ढाई लाख) या उससे कम हो।
- 3 शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्ति करने हेतु अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।

D. काउन्सिलिंग के समय प्रवेश हेतु आने वाले छात्र/छात्राओं को निम्न प्रपत्र अनिवार्य रूप से अपने साथ लाना आवश्यक है।

- 1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटरजनित जाति प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा है।
- 2 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु दिनांक 31 मार्च 2021 के पश्चात का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कम्प्यूटरजनित जाति प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा हो।
- 3 सभी वर्गों हेतु दिनांक 31 मार्च 2021 के बाद का निर्गत कम्प्यूटरजनित आय प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा हो।
- 4 सभी वर्गों हेतु कम्प्यूटरजनित निवास प्रमाण पत्र जो इन्टरनेट पर सत्यापित हो रहा हो।
- 5 कम्प्यूटरजनित प्रमाण पत्रों की इन्टरनेट पर सत्यापित होने की प्रति।
- 6 पिछली उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिका, प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति तथा यदि गैप हो तो गैप का हलफनामा मूल रूप में।

 10/09/2021
  10/09/2021
  10/09/2021
  10/09/21
  10/09/21

Hi, Mishra
 10.9.21

शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार संस्थान में सत्र 2021-22 से प्रवेश के समय अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने की बाध्यकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

E. छात्रावास शुल्क:-

a. छात्रों हेतु छात्रावास:-

I. छात्रावास में प्रवेश अधिकृत होने पर रु० 10500/- (रुपये दस हजार पांच सौ मात्र) (रु० 10000/- वार्षिक छात्रावास शुल्क एवं रु० 500/- काशनमनी छात्रावास शुल्क) नगद जमा होगा।

II. रु० 14000/- (रुपये चौदह हजार मात्र) प्रथम सेमेस्टर के लिए मेस अग्रिम नगद जमा होगा।

III. छात्रावास आवंटन के समय उपरोक्त छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क नगद जमा की जायेगी।

नोट:- छात्रावास में मेस का संचालन ठेकेदार द्वारा किया जाता है। मेस ठेके के टेण्डर में यदि मेस अग्रिम की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि छात्र/छात्राओं को पुनः जमा करना होगा। उपर्युक्त वार्षिक छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क संस्थान खुलने पर छात्र द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

b. छात्राओं हेतु छात्रावास:-

छात्राओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास उपलब्ध है। इसमें प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राएँ मेरिट के अनुसार प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं तथा उनको समाज कल्याण विभाग के नियमों का पालन करना होगा एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की नव प्रवेशित छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

- 1 काउन्सिलिंग हेतु छात्र/छात्रा को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा।
- 2 काउन्सिलिंग के लिए बुलाये जाने का सूचना पत्र स्वयं कहीं से भी आपको प्रवेश एवं आपकी पसन्द की ब्रान्च एलाटमेंट का अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- 3 प्रवेश परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर ही प्रवेश एवं ब्रान्च का आवंटन किया जायेगा। संस्थान पर लागू उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण नियमावली का अनुपालन किया जायेगा।
- 4 यदि आप निर्धारित काउन्सिलिंग की तिथि एवं समय पर उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्र एवं फीस के साथ स्वयं उपस्थित नहीं होते तो आप प्रवेश पाने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिये जायेंगे।
- 5 छात्रावास की सुविधा उपलब्ध स्थानों की सीमा तक प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के माता/पिता/अभिभावक के साक्षात्कार के उपरान्त केवल इंजी०/मैनेजमेन्ट/पी०डी०सी०ए० पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। छात्रावास के लिए अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के दिन ही एक अलग से निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना पड़ेगा।
- 6 छात्रावास में प्रवेश हेतु राज्य सरकार के आरक्षण नियम लागू होंगे।
- 7 आप द्वारा दी गयी कोई भी सूचना यदि कभी भी गलत जालसाजी के रूप में पायी जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और सभी जारी किये गये प्रमाण पत्र वापस कर लिये जायेंगे तथा आपके विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- 8 काउन्सिलिंग में उपस्थित होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- 9 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के प्रवेश पर मेरिट कम में तभी विचार किया जायेगा यदि मेरिट सूची में उत्तर प्रदेश राज्य का कोई अभ्यर्थी न हो।
- 10 कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ज्यूरिडिकेशन में होगा।
- 11 प्रवेश लेने के उपरान्त प्रवेश के समय जमा किया गया कोई भी शुल्क (काशनमनी को छोड़कर) किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- 12 संस्थान में प्रवेश के दौरान या उपरान्त निर्धारित मदों में यदि शुल्क में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर तदनुसार देयता सुनिश्चित होगी एवं सम्बन्धित पक्ष को स्वीकार्य करनी होगी।

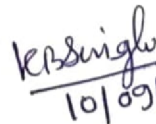
महत्वपूर्ण निर्देश:- जिन प्रवेशार्थियों के पास आवश्यक वांछित अभिलेख/प्रपत्र मूल रूप में नहीं होंगे, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उन्हें किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रवेश नहीं मिलेगा।


10/09/2021


10/09/2021


10/09/21


10/09/2021


10/09/21


निदेशक 10.9.21
आई०ई०आर०टी०, प्रयागराज